



पिअर डेविड्स डिअर एकमात्र ऐसी वन्यजीव प्रजाति है जिसे विलुप्ति से सिर्फ इसलिए बचाया जा सका क्योंकि किसी ने एक वन्यजीव कानून तोड़ा था। घटना 1860 के दशक की है, तब यह हिरण, जिसे 'मिलू' भी कहते हैं, सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र में मिलता था। यह था चीन के सम्राट का इम्पीरियल हंटिंग पार्क, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और कड़ा पहरा था। किसी को भी इसमें झांकने तक की अनुमति नहीं थी। पर एक फ्रेंच मिशनरी, पिअर आरमंड डेविड अपने आपको रोक नहीं सका। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वह एक बार अंदर झांककर देखे। प्रकृतिविदों में ऐसी तीव्र इच्छा होना स्वाभाविक बात है। अंततः उसने किसी तरह से गाइड्स को मना लिया कि, वे बस उसे एक बार अंदर देखने दें। इस एक मौके में उसने देखा कि ऐसा हिरण, जिसके शाखाओं में विभक्त बड़े-बड़े टेंटलर्स (सींग) और एक लम्बी विशिष्ट प्रकार की पूंछ थी। डेविड तुरंत पहचान गए कि, यह एक अनूठी प्रजाति है। उसके बाद शुरू हुए कूटनीतिक प्रयास, जिसके बाद कुछ हिरण यूरोपियन जंतुआलयों में भेजे गए। इसी बीच चीन का इम्पीरियल हंटिंग ग्राउण्ड भारी बाढ़ और राजनैतिक उठापटक का शिकार बन गया और वहां रहने वाले हिरण भी मारे गए, आखिरी मिलू भी मर गया। पर तब तक इन्हें यूरोप भेजा जा चुका था। फिर पिअर डेविड्स डिअर को ब्रिटिश डिअर पार्क, बोर्न एबी में बसाया गया, जहां वे फले-फूले। अब इन्हें फिर से चीन भेजा गया है। विशाल आकार के ये दुर्लभ एशियन डिअर जंगल से लुप्त हो गए थे, लेकिन हाल ही में कुछ जगहों पर इनका पुनर्वास किया गया है। गर्मी में इनका फर ललाई लिए हुए भूरे रंग का होता है, जो सर्दियों में सलेटी हो जाता है। गर्दन पर अयाल, रीढ़ की हड्डी पर काली पट्टी इनकी विशिष्टता है। कई शाखाओं में विभक्त इनके टेंटलर्स साल में दो बार झड़ते हैं फिर नए उगते हैं। ये हिरण बड़े समूह में रहते हैं लेकिन प्रजनन काल में नर हिरण समूह को छोड़ देते हैं, लेकिन मादा वही भर समूह में रहती हैं। तैरने में माहिर ये हिरण अपना काफी समय पानी में गुजारते हैं। जलीय पौधे और घास इनका प्रिय भोजन है। प्रजननकाल में नर एक से ज्यादा मादाओं से जोड़ा बनाता है। जब कोई नर किसी मादा समूह में शामिल होता है तो उसे दूसरे नरों से मादाओं की सुरक्षा करने की पड़ती है। वर्तमान में आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में इसे 'वन क्षेत्र से लुप्त' जीवों के वर्ग में रखा है।

रणनीतिज्ञों द्वारा निर्धारित "थीम" से जरा भी डिग नहीं रहे कांग्रेस नेता

प्रियंका गांधी ने भी "वोकल फॉर लोकल", इस मूल मंत्र को पूर्णतया अपनाया, कर्नाटक की यात्रा के दौरान

- लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अप्रैल। यदा-कदा भटकने-बहकने के बावजूद, भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए, कांग्रेस तथा इसके स्टार प्रचारक रणनीतिकारों द्वारा तैयार किये विषयों और बिन्दुओं पर ही टिके हुए हैं तथा 10 मई के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिये स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं और चुनाव-प्रचार को उन्हीं मुद्दों तक सीमित किया हुआ है।
ए.आई.सी.सी. महासचिव प्रियंका गांधी, जो कर्नाटक के दो दिन के चुनावी दौरे पर हैं, ने बसवराज बोम्मई सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुये, उसे 40 प्रतिशत कमीशन सरकार बताया। इस पर वहाँ उपस्थित भारी भीड़ ने बड़ी उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि, कर्नाटक के भाजपा शासन में भ्रष्टाचार अनियंत्रित स्थिति में पहुँच गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर, राज्य के 1.5 लाख करोड़ ₹. लूटने का आरोप लगाया।
- प्रियंका गांधी ने बोम्मई की 40 प्रतिशत सरकार पर राज्य से 1.5 लाख करोड़ ₹. लूटने का आरोप लगाया।
- इस संदर्भ में उन्होंने ठेकेदार द्वारा, कमीशन देने की स्थिति में न होने के कारण आत्महत्या करने की घटना को विस्तार से दोहराया तथा ठेकेदार यूनिनियन द्वारा इस घटना के संबंध में प्र.मंत्री को लिखे पत्र को भी भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में पेश किया।
उन्होंने कहा कि, "आपने एक विधायक के पुत्र से 8 करोड़ रूपए ज़ब्त किए जाने के बारे में पढ़ा होगा। जाँच करवाने के बजाए विधायक ने एक जुलूस निकाल दिया।" यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि, कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, प्रियंका ने कहा कि, सिर्फ कांग्रेस ही राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है।
- लोकल भावनाएं उभारने की दृष्टि से उन्होंने वादा भी किया कि, कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लोकल मिलक ब्राण्ड नन्दिनी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी तथा किसी अन्य राज्य के मिलक ब्राण्ड को कर्नाटक में पैर नहीं पसारने देगी।
- उन्होंने एक भाजपा विधायक पुत्र के घर से पांच करोड़ रुपये की अघोषित राशि प्राप्त होने को भी सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में पेश किया।

हुई, क्योंकि इसमें लिप्त लोगों में से बहुत से लोग भाजपा से जुड़े हुये थे। प्रियंका गांधी ने इसी शृंखला में एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें एक विधायक के परिवार से दो नम्बर का अनाप-शनाप पैसा जब्त किया गया था और यह घटना खूब चर्चित रही तथा टी.वी. समाचारों में छाई रही थी।
उन्होंने कहा कि, "आपने एक विधायक के पुत्र से 8 करोड़ रूपए ज़ब्त किए जाने के बारे में पढ़ा होगा। जाँच करवाने के बजाए विधायक ने एक जुलूस निकाल दिया।" यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि, कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, प्रियंका ने कहा कि, सिर्फ कांग्रेस ही राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा सकती है।
नन्दिनी ब्रांड को लेकर लोगों की भावनाओं को घुनाते हुए उन्होंने कहा कि, कांग्रेस कर्नाटक के नन्दिनी ब्रांड को मजबूत करेगी। ज्ञातव्य है कि, इस मुद्दे ने राज्य में बहुत जोर पकड़ लिया है। प्रियंका ने कहा कि, अमूल जैसे अन्य ब्रैंड्स से मिलने वाली किसी भी चुनौती से कांग्रेस नन्दिनी को बचाएगी। कोई भी कोऑपरेटिव राज्य से बाहर का नहीं होगा।
(शेष पृष्ठ 5 पर)

बहुत समर्थन मिल रहा है। ज्ञातव्य है कि, इन मुद्दों के चलते, कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव बहुत बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, "सर्वाधिक दुखद बात है कि, राज्य में जो 40 प्रतिशत कमीशन सरकार है उसने आपको लूटा है। बिना किसी धर्म के उसने आपको लूटा।"
बोम्मई सरकार के विभिन्न घोटालों

को गिनाते हुये, उन्होंने एक ठेकेदार द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण पर विशेष जोर दिया, जिसने कमीशन नहीं दे पाने के कारण आत्महत्या की थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा लागू गये आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। प्रियंका ने कहा, "कोई कार्यवाही नहीं

क्या आनंद मोहन सिंह को रिहा करवा कर नीतीश राजपूत वोट पकड़ पायेंगे?

मु.मंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में आनंद मोहन को रिहा करने से इन्कार कर दिया था

- श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अप्रैल। भाजपा को उसी के खेल में मात देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने गैंगस्टर पॉलिटीशियन आनंद मोहन सिंह को जेल से स्थायी रिहाई के आदेश दिए हैं। आनंद मोहन सिंह, गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी. कृष्णया को हत्या के लिए उकसाने के जुर्म में जेल की सजा काट रहे थे। जस्टिस कृष्णया की वर्ष 1994 में हत्या हुई थी। सोमवार को अपने पुत्र की पटना में हुई शादी में शरीक होने के लिए आनंद मोहन जमानत पर जेल से बाहर आये थे कि, उन्हें यह समाचार मिला कि, उन्हें स्थायी रूप से रिहा कर दिया गया है। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि
- उस समय नीतीश भाजपा के साथ गठबंधन में थे, अतः उन्हें सवर्ण वोटों की चिंता नहीं थी।
- पर, अब भाजपा से गठबंधन तोड़ कर नीतीश के लिये राजपूत वोटों को पकड़ना जरूरी हो गया है। अतः आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाकर नीतीश ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

नीतीश कुमार सरकार ने इस माह के शुरू में, वर्ष 2012 की जेल नियमवली में संशोधन कर इसके नियम 481 में बदलाव किया था। इस नियम के तहत आजीवन सजा प्राप्त कैदियों को "अच्छे व्यवहार" के आधार पर रिहा करना प्रतिबंधित था।
इस उपनिषद के हटने के बाद,

कुछ हिचकिचाहट के बाद अखिलेश व के.सी.आर. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को तैयार हुए

नीतीश कुमार के प्रयासों से विपक्ष की एकता का स्वप्न पूरा होता नजर आने लगा है

- डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अप्रैल। 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का सामना करने के लिये एक संगठित मोर्चा बनाने के विपक्षी एकता के प्रोजेक्ट को उस समय और गति मिल गई, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, का हिस्सा बनने के लिये अपनी रजामंदी दे दी।
लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई मीटिंग के बाद, जहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि, "लोकतंत्र, संविधान तथा देश" को बचाने के लिये, विपक्ष मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगा, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने कहा कि, के.सी.आर. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के विचार के लिए तैयार हैं, तथा यह
- तेलंगाना के मु.मंत्री के.सी.आर. को वैसे अभी भी राहुल गांधी को इस गठबंधन का नेता होना नहीं जंच रहा।
- वे नीतीश कुमार व ममता बनर्जी को ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि, ये दोनों के.सी.आर. की दृष्टि से कुशल प्रशासक होने के ठोस प्रमाण दे चुके हैं, अपने-अपने राज्य का मु. मंत्री पद संभालने के बाद। जबकि, वे (के.सी.आर.) मानते हैं कि, राहुल ने प्रशासनिक योग्यता का कोई सबूत अभी तक नहीं दिया है।
- के.सी.आर. इस बात से भी सहमत नहीं कि, अडानी के घोटालों को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। के.सी.आर. के अनुसार कई मुद्दों में से अडानी का इशू एक मुद्दा हो सकता है।
- बहरहाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद, सीरियस सीटों की व मुद्दों की सौदेबाजी शुरू होगी।

गठबंधन का चेहरा बनने पर उन्हें अब भी आपत्ति है। शीर्षस्थ सूत्रों ने कहा कि, भारत राष्ट्र नीति (बी.आर.एस.), जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले गैर-भाजपा तथा गैर-कांग्रेस "फेडरल फ्रंट" के अभियान का नेतृत्व किया था, अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के विचार के समर्थन में है।
सूत्रों ने कहा कि, अपनी स्वयं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, के. चन्द्रशेखर राव या के.सी.आर. के नेतृत्व वाली पार्टी और अधिक "समायोजनपूर्ण रूख" के लिये तैयार है। के.सी.आर. के रूख में यह परिवर्तन, यह महसूस करने के बाद आया है कि, मोदी सरकार, अपनी एजेन्सियों को काम में लेकर, प्रत्येक क्षेत्रीय नेता को नेतृत्व करने में लगी है तथा बी.आर.एस. भी इसका अपवाद नहीं है।
के.सी.आर. की पुत्री तथा पूर्व सांसद के. कविता, दिल्ली सराब नीति केस में एफ्कोसमेंट

- लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 अप्रैल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तिथि, 10 मई, नजदीक आने के साथ ही भाजपा ने अपने चुनावी ध्रुवीकरण के हथियार - आरक्षण, को पैना करना शुरू कर दिया है, या यूँ कहिए कि मुसलमानों के 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने के अपने सरकार के निर्णय को हथियार बनाया है। इस निर्णय को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली हुई है।
लेकिन मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त कर उसे राज्य के दो सशक्त समुदायों, लिंगायत और वोकलिंग को देने के कर्नाटक सरकार के निर्णय ने उसके चुनाव अभियान के हिन्दू-मुस्लिम पंगल पर फोकस बढ़ा दिया है, जो कि, विधानसभा चुनावों के लिए उसकी रणनीति का एक अंग है।
कांग्रेस, जो कि बहुत सोच विचार कर ऐसा कुछ भी करने से कतरा रही
- इस विवाद से बचने का भरपूर प्रयास किया कांग्रेस ने, पर सफलता शायद नहीं मिल पायेगी।

थी, जिससे हिन्दू-मुस्लिम जैसे मुद्दे भड़कें, को आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी और यह वादा करना पड़ा कि, यदि वह सत्ता में आई तो मुसलमानों के आरक्षण को बहाल कर देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने जब यह घोषणा की कि "हम ना केवल अल्पसंख्यकों के आरक्षण को रद्द करेंगे, बल्कि लिंगायतों और वोकलिंगों का भी ध्यान रखेंगे", तो अपने आप ही यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। भाजपा ने भी जोरदार तरीके से कांग्रेस को घेरने के लिए, उसे हिन्दू-विरोधी एवं लिंगायत विरोधी बताया। संयोगवश, भाजपा यह

जाता रही है कि, कांग्रेस ने सशक्त लिंगायत समुदाय का अपमान किया है।
चुनाव विवाद के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर तुष्टिकरण किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को कहा कि, बोम्मई सरकार ने मुस्लिमों को मिले हुए एक असंवैधानिक आरक्षण को रद्द किया है, और कांग्रेस उसे बहाल करने की धमकी दे रही है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि, जब वे 10 मई को वोट डालने जाएं तब इस बात को ध्यान में रखें कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भारी भ्रष्टाचार बढ़े तुष्टिकरण होगा।
कर्नाटक सरकार ने 27 मार्च को एक आदेश जारी करके मुसलमानों को दिया जा रहा 4 प्रतिशत आरक्षण समाप्त कर दिया था तथा इसे कर्नाटक के दो ताकतवर समुदायों, लिंगायत एवं वोकलिंग में बराबर-बराबर बाँट दिया
(शेष पृष्ठ 5 पर)

मादक पदार्थ तस्करी

जयपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। एन.डी.पी.एस. मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल और अभियुक्त अहसान खान को छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
(शेष पृष्ठ 5 पर)

अदालत ने अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल और अभियुक्त अहसान खान को छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, मौजूदा समय में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई
(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vajshahi Nagar, JAIPUR
www.perfecthearing.com

कोर्ट में पेश हुई ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर

जयपुर, 25 अप्रैल (का.सं.)। ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त यशमित्र देव सिंह के साथ अभद्रता के मामले में मंगलवार को मेयर सौम्या गुर्जर निचली अदालत में पेश हुईं। सौम्या की ओर से एसोसिएट कोर्ट क्रम-8 में पेश होकर जमानत-मुचलके परे गए।
गौरतलब है कि, ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यशमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की बैठक के दौरान मेयर सौम्या गुर्जर ने उसके साथ अभद्रता की थी और पार्श्वों ने धक्का-मुक्की और मारपीट भी की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेयर सहित चार पार्श्वों अजय सिंह,

गौरतलब है कि, ग्रेटर निगम के तत्कालीन आयुक्त यशमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, बैठक के दौरान मेयर सौम्या गुर्जर ने उसके साथ अभद्रता की थी और पार्श्वों ने धक्का-मुक्की और मारपीट भी की।

चौहान, पारस जैन, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ तीस जून, 2021 को आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर का आरोप मुक्त कर दिया था।
कोर्ट के इस आदेश को यशमित्र और राज्य सरकार ने रिवीजन याचिका पेश कर चुनौती दी थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट ने सौम्या को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए निचली अदालत को पुनः सुनवाई के आदेश दिए थे।